न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 53 / 2020

डी0सी0बी0 बैंक लि0
पताः– एस–5, सैकिण्ड फ्लौर, गीजगढ टावर,
हवा सडक, सिविल लाईन, जयपुर (राज0) .....प्रार्थी (बैंक)

बनाम

(1). श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्दराम,
पताः–वार्ड नं0 9, दाधीच कॉलोनी, किशनगढ, अजमेर (राज0)–305801 एवं नोर्थन पार्ट ऑफ प्लाट नंम्बर–64–ए, एज पर पी टी सर्वे, सिचुएटेड एट पार्ट ऑफ खसरा नं0 297 / 2764, दाधीच कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ, अजमेर (राज0) 305801

(2). श्री सुनील मेघवाल पुत्र श्री राजेन्द्र मेघवाल,
पताः– वार्ड नं0 9, दाधीच कॉलोनी, किशनगढ, अजमेर (राज0)–305801 एवं नोर्थन पार्ट ऑफ प्लाट नंम्बर–64–ए, एज पर पी टी सर्वे, सिचुएटेड एट पार्ट ऑफ खसरा नं0 297 / 2764, दाधीच कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ, अजमेर (राज0) 305801

(3). श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार,
पताः– वार्ड नं0 9, दाधीच कॉलोनी, किशनगढ, अजमेर (राज0)–305801 एवं नोर्थन पार्ट ऑफ प्लाट नंम्बर–64–ए, एज पर पी टी सर्वे, सिचुएटेड एट पार्ट ऑफ खसरा नं0 297 / 2764, दाधीच कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ, अजमेर (राज0) 305801

.....अप्रार्थीगण (सह ऋणी)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री उमराव बसीटा अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 27.02.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण से 01, 03 को दिनांक 28.03.2017 को रू 7,00,000 / – (अक्षरे सात लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इंस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर संपत्ति भूखण्ड संख्या–64–ए, का उत्तरी दिशा वाला भाग, जो की पी टी सर्वे के अनुसार खसरा नं0–297 / 2764, दाधीच कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ, अजमेर (राज0) 305801 स्थित, क्षैत्रफल 92.93 वर्ग गज जिसकी चतुर्थ सीमाएं– पूर्व –गली 6 फीट चौडी, पश्चिम –रास्ता आम 20 फीट चौडा, उत्तर–मकान श्री दीनदयाल सेन, दक्षिण –स्वयं का शेष भुखण्ड तत्पश्चात जगदीश जी ब्राहाम्ण का मकान को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 01.08.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 14.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–7,68,578.52 / – (अक्षरे सात लाख अडसठ हजार पांच सौ अठहत्तर एवं बावन पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति संपत्ति भूखण्ड संख्या–64–ए, का उत्तरी दिशा वाला भाग, जो की पी टी सर्वे के अनुसार खसरा नं0–297/2764, दाधीच कॉलोनी, मदनगंज, किशनगढ, अजमेर (राज0) 305801 स्थित, क्षैत्रफल 92.93 वर्ग गज जिसकी चतुर्थ सीमाएं– पूर्व –गली 6 फीट चौडी, पश्चिम –रास्ता आम 20 फीट चौडा, उत्तर–मकान श्री दीनदयाल सेन, दक्षिण –स्वयं का शेष भुखण्ड तत्पश्चात जगदीश जी ब्राहाम्ण का मकान का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner